न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 65 / 2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. सत्यपाल पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादी

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी :– तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

निर्णय दिनांक :– 2.9.24

वादी सत्यपाल ने प्रतिवादी तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा(रास्ता निरस्तीकरण हेतु) का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 108 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी स. 1 के नाम से 1.393 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. बी के एकल खाता सं. 54 / 7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 मे वादी सं. 1 के नाम से 0.404 है. कृषि भूमि, चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 98 / 45 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी स. 2 के नाम से 1.429 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.टी. डब्ल्यु. बी के एकल खाता सं. 42 / 41 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में वादी सं. 2 के नाम से 0.139 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता स. 108 / 13 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी सं. 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि के प.नं. 183 / 161 मु.नं. 8 के कि.नं. 16 / 2 / 0.038 है., 25 / 2 / 0.038 है., गै.मु. रास्ता दर्ज है जिसकी पूर्वी दिशा मे चक 2 एन. टी.डब्ल्यु. बी के एकल खाता सं. 54 / 7 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के प.नं. 184 / 164(सही प.नं. 184 / 161) मु.नं. 09 कि.नं. 20 / 0.164 है., 21 / 0.240 है. कृषि भूमि वादी सं. 1 की कब्जाकाश्त में है। तथा इसी प्रकार इसी चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 98 / 45 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादी सं. 2 के नाम से दर्ज कृषि भूमि के प.नं. 183 / 161 मु.नं. 8 के कि.नं. 6 / 2 / 0.038 है., 15 / 3 / 0.038 है. गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज है। जिसकी पूर्वी दिशा में चक 2 एन.टी. डब्ल्यु. बी के एकल खाता सं. 42 / 41 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के प.नं. 184 / 164(सही प.नं. 184 / 161) मु.नं. 09 कि.न. 10 / 1 / 0.063 है., 11 / 1 / 0.076 है. कृषि भूमि वादी स. 2 की कब्जाकाश्त मे है। हल्का पटवारी द्वारा जारी नजरी नक्शे की मुल प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि उक्त रास्ता स्वीकृत होने के पश्चात् चक 2 एन.टी.डब्ल्यु. बी के प.नं. 184 / 164(सही प.नं. 184 / 161) मु.नं. 09 के कि.नं. 21,20,11,10 में संगरिया से भगतपुरा कुतरी सडक निकलती है जो चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के प.नं. 183 / 161 के मु.नं. 08 के कि.नं. 5 में प्रवेश करती है। उक्त सडक लगभग पिछले 70 वर्षो से चली आ रही है। गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज कृषि भूमि के दोनों ओर वादीगण की ही कृषि भूमि स्थित हैं। उक्त रास्ता पर अन्य किसी भी काश्तकार की भूमि स्थित नही है। जिस कारण उक्त रास्ता की वादीगण को एवं अन्य किसी भी काश्तकार को आवश्यकता नही है तथा सड़क आने से लेकर आज तक उक्त गै.मु. रास्ता का उपयोग नही किया जा रहा। जिस कारण वादीगण चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के प.नं. 183 / 161 मु.न. 08 के कि.नं. 6 / 2 / 0.038 है., 15 / 3 / 0.038 है., 16 / 2 / 0.038 है., 25 / 2 / 0.038 है. गै.मु. रास्ता को कृषि भूमि [illegible] कृषि भूमि के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वादीगण ने [illegible] रिकार्ड देखा तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. [illegible] नं. 6 / 2 / 0.038 है., 15 / 3 / 0.038 है., 16 / 2 / 0.038 है., 25 / 2 / 0.038 है. गै.मु. रास्ता [illegible] भूमि के रूप में दर्ज है, जिसे वादीगण ने मुमकिन दर्ज करवाने [illegible] तो हल्का पटवारी ने बताया कि पहले अदालत का आदेश लेकर [illegible] रास्ता को मुमकिन कृषि भूमि में दुरूस्त किया जायेगा। यही वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.10 11:33:27
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार(राजस्व) संगरिया को प्रपत्र के जरिये मौका की यथास्थिति हेतु रिपोर्ट हेतु आदेशित किया। तहसीलदार(राजस्व) संगरिया द्वारा आदेश की पालना में अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2024 / 327 दिनांक 14.06.2024 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें तहसीलदार(राजस्व) संगरिया द्वारा रास्ता निरस्त किये जाने हेतु सिफारिश की। निरस्त करवाये जाने वाले रास्ता के दोनों ओर वादीगण की कृषि भूमि ही है तथा साथ ही रास्ता के विकल्प के रूप मे

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

समरिया ग्रामपुरा रोड बन रही है। उक्त रास्ता निरस्त होने पर आवागमन के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वादीगण निरस्त रास्ते की जगह में नियमानुसार कृषि कार्य करवाई जाकर रास्ता निरस्त कर कृषि भूमि दर्ज करवाना चाहते है। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील समरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के एकल खाता सं 108/13 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 चक 2 एन.टी.डब्ल्यू बी के एकल खाता सं 54/7 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के एकल खाता सं 98/45 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 एवं चक 2 एन.टी.डब्ल्यू बी के एकल खाता सं 42/41 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श 1 ता 4 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उपरान्त सुनी गई। वादी द्वारा अपने बहस के कथनों के पक्ष में आर.आर.डी. 699 दौलतराम बनाम स्टेट के दस्तावेज पेश किए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार समरिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत **RRD 1988 page no 699** साइटेशन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के बिन्दु संख्या 8 में स्पष्ट निर्देशित किया है कि **There is no analogous expression in section 251 of the Tenancy Act. Its insertion in sub-condition (2) leads to the unequivocal implication that the right of way once created by competent authority is not final, and that it is subject to alteration on the satisfaction of the competent authority. The conclusion is that the authority empowered under sub-condition (2) is competent not only to create a right of way, but also to alter and cancel the same.** *Daulatram vs. State of Rajasthan*, **1988 RRD 699.** तहसीलदार समरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी रास्ता निरस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर नवीन वादी के वादपत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील समरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के एकल खाता सं 108/13 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में वादी सं. 1 के नाम से 1.393 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.टी. डब्ल्यू बी के एकल खाता सं. 54/7 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में वादी सं. 1 के नाम से 0.404 है कृषि भूमि, चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के एकल खाता सं 98/45 जमाबन्दी सम्वत 2072-75 में वादी सं 2 के नाम से 1.429 है. कृषि भूमि, चक 2 एन.टी.डब्ल्यू बी के एकल खाता सं. 42/41 जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में वादी सं. 2 के नाम से 0.139 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र में तहसीलदार (राजस्व) समरिया की अनुशंषा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी वाद वादी डिक्री किया जाता है कि तहसील समरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यू के पत्ते 183/161 मु.न. 08 के किला 6/2/0.038 है, 15/3/0.038 है, 16/2/0.038 है, 25/2/0.038 है. कुल 0.152 है गै.मु. रास्ता को निरस्त कर उक्त कृषि भूमि को गै.मु. से मुमकिन कृषि भूमि के रूप में दर्ज की जाकर सम्बन्धित काश्तकारान/खाता में अंकित की जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर [illegible] निर्णय आज दिनांक 2/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

समरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K…
Meena
Date: 2024.09.10 11:33:27 …
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 65/2024

सत्यपाल पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

विनोद कुमार पुत्र श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

– वादीगण

बनाम्

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादी

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री तहसीलदार (राजस्व) संगरिया** मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 4 एन.टी.डब्ल्यु. के प.नं. 183/161 मु.नं. 08 के कि.नं. 6/2/0.038 है., 15/3/0.038 है., 16/2/0.038 है., 25/2/0.038 है. कुल 0.152 है. गै.मु. रास्ता को निरस्त कर उक्त कृषि भूमि को गै.मु. से मुमकिन कृषि भूमि के रूप में दर्ज की जाकर सम्बन्धित काश्तकारान/खाता में अंकित की जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

नेज .... निल .... मुब्लिक ....निल .... बाबत् ....निल............... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 2/9/24 को जारी किया जाता है।

राकेश कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 11:33:27 IST
Reason: SelfAttested